

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 17.09.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विजय कुमार सोनकर पुत्र गंगाराम सोनकर नि० अमवामाफी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 350 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम विलास सोनकर पुत्र लालमन सोनकर नि० सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 324 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना मोतीगंज पुलिस ने लड़की का अपहरण करने के वांछित अभियुक्त राजेन्द्र प्रताप भार्गव पुत्र शिव सागर नि० कंगान थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी को थाना मोतीगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०- 217 / 20, धारा 363.120बी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था । जिसके संबंध में लड़की के पिता द्वारा थाना मोतीगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें मोतीगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय स्वाना कर दिया गया ।

शादी का झाँसा देकर लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने शादी का झाँसा देकर एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त बृजेश पुत्र जियालाल नि० सलोन थाना को०सलोन जनपद रायबरेली को थाना छपिया में पंजीकृत मु०अ०सं०- 341 / 20, धारा 363.366 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को शादी का झाँसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था । जिसके संबंध में लड़की के पिता द्वारा थाना छपिया में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें छपिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गैरइरादतन हत्या करने की वांछित 03 आरोपी अभियुक्ता गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने की 03 वांछित आरोपी अभियुक्ता- 01. मोनिका पत्नी शरीफ, 02. नन्हकई पत्नी शरीफ, 03. राजिया पुत्री मुनीम नि०गण तिजनहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 58 / 20, धारा 323.504.506.304 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्ताओं ने पुरानी रंजिश के चलते वादिनी श्रीमती नानमुन्नी पत्नी चुनमुन नि० तिजनहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा व उसकी दादी को लाठी- डण्डा से मारा-पीटा था जिससे वादिनी की दादी की अस्पताल ले जाने के दौरान मृत्यु हो गयी थी । जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें परसपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रही उक्त आरोपी अभियुक्ताओं को मुखबिर की सूचना पर सरयू नदी भौरीगंज पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 17.09.2020

बेटे की हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शमसुद्दीन पुत्र पुद्दन नि० पेम्ईपुरवा मौजा पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 325 / 20, धारा 302,201 भादवि० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.09.2020 को उक्त आरोपी अभियुक्त ने आपसी कहासुनी को लेकर अपने पुत्र की हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया था । जानकारी होने पर मृतक की माता अमीना उर्फ पुड़िया पत्नी शमसुद्दीन नि० पेम्ईपुरवा मौजा पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें थानाध्यक्ष इटियाथोक द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारी टीम:-

1. व०उ०नि० राजेश कुमार पाण्डेय थाना परसपुर ।
2. उ०नि० नरसिंह ।
3. का० पटेल राय ।
4. का० विजय यादव ।
5. का० बालेश्वर यादव ।